न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 181/2018

अनवान :

1. प्रताप पुत्र मल्ला जाति जाट गोदारा निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. बलवंत पुत्र मल्ला जाति जाट गोदारा निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादीगण

बनाम

1. मल्ला पुत्र शिम्भूराम जाति गोदारा निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. निर्मला पुत्री मल्ला जाति जाट गोदारा निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. कृष्णा पुत्री मल्ला जाति जाट गोदारा निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, भादरा।
5. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा भादरा (समेकित एसबीआई शाखा भादरा) जरिये शाखा प्रबन्धक।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र गोयल : वादीगण

निर्णय **दिनांक :** 14.8.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम घेऊ की जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता सं0 260/338 के खसरा सं0 686/2 की 5.0460 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 मला के नाम से राजस्व रिकार्ड में स्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं0 1 मला, वादीगण का पिता है व प्रतिवादी सं0 2 व 3 वादीगण की सगी बहने है। उपर वर्णित कृषि भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है, जो वादीगण के पिता मल्ला प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता शिम्भुराम से तथा शिम्भुराम को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई थी। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 मला के नाम से परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण के दादा शिम्भुराम की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी सं0 1 मला के साथ साथ उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 का भी हक व अधिकार निहित है। प्रतिवादी सं0 2 व 3 वादीगण की बहने है। वाद कृषि भूमि से प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा जो वाद भूमि में बनता था को तर्क कर शुन्य कर लिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने इकबालदावे पेश

किये। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 प्रताप के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम घेऊ के खाता सं0 260/338 सम्वत् 2071–74 की प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम घेऊ प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम घेऊ सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद कृषि भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है, जो वादीगण के पिता मल्ला को अपने पिता शिम्भुराम से तथा शिम्भुराम को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई थी। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम घेऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने दावा में वाद भूमि उनके पिता मल्ला को अपने पिता शिम्भुराम से तथा शिम्भुराम को अपने पिता से विरासतन प्राप्त होना अंकित करते हुए वाद कृषि भूमि को दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना जाहिर किया है किन्तु वाद कृषि भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने बाबत वादीगण ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। इस प्रकार वादीगण अपना दावा साबित करने में असफल रहे है।

अत : वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.8.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ़)

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

<u>पर्चा डिक्री</u>

<u>न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़</u>

<u>पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस</u>

प्रकरण सं0 : 181/2018

अनवान :

1. प्रताप पुत्र मल्ला जाति जाट गोदारा निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. बलवंत पुत्र मल्ला जाति जाट गोदारा निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादीगण

<u>बनाम</u>

1. मल्ला पुत्र शिम्भूराम जाति गोदारा निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. निर्मला पुत्री मल्ला जाति जाट गोदारा निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. कृष्णा पुत्री मल्ला जाति जाट गोदारा निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, भादरा।
5. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा भादरा (समेकित एसबीआई शाखा भादरा) जरिये शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री राजेन्द्र गोयल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एव वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.8.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़